न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/515

1. बालाराम आत्मज नन्दलाल जी जाति धाकड ।
2. मोहन लाल आत्मज नन्दलाल जी जाति धाकड निवासीगण गादिया तहसील रामगंजमण्डी ज़िला कोटा । ----अपीलान्ट

बनाम

1. घनश्याम आत्मज रामचन्द्र जाति धाकड ।
2. जानी बाई बेवा रामचन्द्र जाति धाकड निवासीगण गादिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
4. उपपंजीयक रामगंजमण्डी ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा । ----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मनोज मंत्री, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से ।

दिनांक: 14.06.2019

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 54, 88 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम गादि तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की कुल 24 किता की कुल रकबा 69 बीघा भूमि सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 खाते की आराजी है । उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य दिनिंक 10.04.1985 को पारिवा

बंटबारा हो गया था तब से ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । प्रतिवादीगण को ग्राम कोला की आराजी बंटवारे में मिली थी जिसका बेचान वे पूर्व में ही कर चुके हैं । वादीगण को पारिवारिक विभाजन में कुल 14 किता की 40 बीघा 01 बिस्वा आराजी आयी थी जिस पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त खाता शामलाती होने से प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी को विक्रय कर खुर्द–बुर्द करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार कर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की मद संख्या 04 में वर्णित आराजी का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा वादीगण का खात पृथक से दर्ज कर लगान राज अलग–अलग किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी का रहन, बेचान या खुर्द–बुर्द न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2017 के द्वारा वाद वादीगण अंशतः स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2017 से व्यथित होकर वादी कम 1 व 2 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में बिना वादीगण की सहमति के वादीगण का वाद बाबत् विभाजन घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा का होते हुए भी सरसरी तौर पर केवल मात्र धारा 53 के तहत पूर्व में हुए विभाजन को बिना अवलोकन किये ही दावा केवल मात्र होल्डिंग विभाजन बाबत् डिक्री कर दिया । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य पूर्व में पारिवारिक समझौते से बंटवारा हो गया । उक्त विभाजन के अनुसार ही पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी कम 1 व 2 के उपस्थित आने पर बतौर हाजरी के हस्ताक्षर आदेशिका पर करवा कर अवैध रूप से निर्णय पारित किया है जिसकी अपीलान्टगण को कोई जानकारी नहीं हुई । पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.07.2017 को प्रारम्भिक डिक्री जारी होने की जानकारी दी जिस पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में बिना वादीगण की सहमति के वादीगण का वाद बाबत् विभाजन घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा का होते हुए भी सरसरी तौर पर केवल मात्र धारा 53 के तहत पूर्व में हुए विभाजन को बिना अवलोकन किये ही दावा केवल मात्र होल्डिंग विभाजन बाबत् डिकी कर दिया । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य पूर्व में पारिवारिक समझौते से बंटवारा हो गया । उक्त विभाजन के अनुसार ही पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिकी पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 30.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय एवं डिकी पारित की है । लोक अदालत में वादीगण कम 1 व 2 व प्रतिवादी कम 1 उपस्थित हुए हैं और उनकी उपस्थिति में विधि सम्मत रूप से निर्णय एवं डिकी पारित की गई है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 30.05.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताएं हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्राथ्रना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते जवाब एवं साक्ष्य में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादीगण कम 1 व 2 व प्रतिवादी कम 1 उपस्थित हुए हैं। समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा जवाबदावा भी पेश किया गया है । दावे एंव जवाबदावे के आधार पर तनकी कायम की गई है जो पत्रावली में शमिल मिसल है परन्तु निर्णय तनकीवार नहीं किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा हुआ हो ऐसा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं है और न ही कोई राजीनामा पत्रावली में संलग्न किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिकी पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 24.07.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 14.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा